भारतीय जनसंघ

गरीबी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा

भारतीय जनता पार्टी
पुस्तकालय
8D
1211

चुनाव घोषणा पत्र १९७१

भारत आज इतिहास के तिराहे पर खड़ा है। मध्यावधि चुनाव में जनता को तय करना है कि वह देश को किस दिशा में ले जाना चाहती है। पहले कभी देश के सम्मुख इतने महत्वपूर्ण निर्णय की घड़ी नहीं आई। पहले कभी किसी लोकतंत्र में प्रधानमन्त्री ने राष्ट्र-विरोधी तथा लोकतंत्र-विरोधी शक्तियों के साथ ऐसा खुला गठबन्धन नहीं किया। पहले कभी सत्तारूढ़ गुट ने न्यायपालिका तथा संसद की इतनी अवहेलना नहीं की। पहले कभी किसी सरकार ने कानून तथा व्यवस्था बनाये रखने में ऐसी विफलता नहीं पाई जैसी श्रीमती गांधी की सरकार को पश्चिम बंगाल में मिली है। दूसरे शब्दों में, पहले कभी विकल्प इतने स्पष्ट नहीं थे, पहले कभी निर्णय इतने दो टूक नहीं हो सकते थे।

प्रधानमंत्री के इस दावे से शायद ही किसी को भरमाया जा सके कि उन्होंने लोकसभा को भंग करने की सलाह इसलिए दी क्योंकि 'निहित स्वार्थ' उनकी कथित प्रगतिशील नीतियों के मार्ग में बाधक थे। सचाई यह है कि सत्तारूढ़ दल में देश के सम्मुख उपस्थित बुनियादी समस्याओं को हल करने की न तो क्षमता ही है और न इच्छा ही है।

बढ़ती हुई बेरोजगारी ने एक विस्फोटक परिस्थिति पैदा कर दी है। हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ उसको रोकने में विफल हुई हैं। वस्तुतः योजना आयोग बेकारी के विरुद्ध लड़ाई से भाग खड़ा हुआ है और तकनीकी शब्द-जाल के पीछे शरण ले रहा है। सत्तारूढ़ दल को इस बात का कोई अनुमान नहीं

है कि हमारी अपार जनशक्ति को कब और किस रूप में राष्ट्रीय विकास के महान कार्य में लगाया जाएगा ।

सरकार की दूसरी भारी विफलता मंहगाई में निरन्तर वृद्धि के रूप में सामने आई है । लगातार तीन वर्षों तक अच्छी फसल रहने के बाद भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में असाधारण बढ़ोतरी यह बताने के लिए पर्याप्त है कि सरकारी नीतियों में कोई मूलभूत दोष है । गतवर्ष के केन्द्रीय बजट में जब १७० करोड़ रु० के नये टैक्स लगाये गये थे तब यह दावा किया गया था कि मूल्यों में केवल आंशिक वृद्धि होगी । बाद की घटनाओं ने यह बता दिया है कि वह दावा कितना खोखला और भ्रमपूर्ण था ।

मूल्य-वृद्धि के कारण व्यापक जन-असंतोष फैला है और मंहगाई भत्ते तथा मजदूरी में बढ़ोतरी की मांगें उठी हैं । केन्द्रीय कर्मचारियों को जो अन्तरिम राहत दी गई है वह यद्यपि निराशाजनक और अपर्याप्त है किन्तु इस सम्बन्ध में ८०५ की वृद्धि के लिए सरकारी नीतियां प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं । प्रधानमंत्री द्वारा वित्त मंत्रालय का भार किसी दूसरे को सौंपना अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता को बचाने का प्रयास हो सकता है । किन्तु उन्हें पता है कि नए बजट में कई सौ करोड़ के नए टैक्स लगाने पड़ेंगे । ऐसा बजट सन् १९७२ के आम चुनाव में सत्तारूढ़ दल की संभावनाओं के लिए कितना खतरनाक होगा इसको ध्यान में रखकर ही लोक-सभा भंग की गयी है ।

लोगों से लगातार सादगी अपनाने के लिए कहा जाता है किन्तु सरकार अपने उपदेशों के विपरीत आचरण कर के ही उनका पालन करती है । जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा व्यर्थ के कामों पर पानी की तरह बहाया जा रहा है । शान-शौकत और ठाठ-बाट का भौंडा प्रदर्शन जारी है । प्रशासन में भ्रष्टाचार व्याप्त है । नौकरशाही और लाल-फीता उद्यम का गला घोंट रहे हैं । औद्योगिक कारखानों की बहुतांश क्षमता बेकार पड़ी है । सार्वजनिक उद्योगों की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है । आर्थिक मोर्चे पर सरकार की इन विफलताओं को यद्यपि आंकड़ों की जादूगरी में छिपाने का प्रयास किया जाता है, किन्तु आम आदमी इस सच्चाई से परिचित हुए बिना नहीं रह सकता कि सत्तारूढ़ दल के समाजवाद का अर्थ केवल इतना है कि जनता कर-वृद्धि और मंहगाई के पाटों में पिस रही है, रोजगार के अवसर घट रहे हैं और गरीबी तथा शोषण में वृद्धि हो रही है ।

कांग्रेस-विभाजन के बाद से श्रीमती इन्दिरा गांधी एक अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रही हैं । आर्थिक मोर्चे पर अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए और स्वयं को सत्ता में बनाये रखने के लिए उन्हें साम्यवादियों और सम्प्रदायवादियों पर अधिकाधिक निर्भर रहना पड़ा है । उनके समर्थन की कीमत के रूप में श्रीमती गांधी ने कम्युनिस्टों की हिंसात्मक तथा अराजकतावादी कार्यवाइयों की ओर से तथा मुस्लिम लीग के समूचे देश में पुनः जीवित किए जाने से अपनी आंखें मूंद ली हैं ।

केरल के मध्यावधि चुनाव में सत्तारूढ़ दल ने मुस्लिम लीग के साथ खुला गठबन्धन किया । इस निकृष्ट अवसरवादिता पर पर्दा डालने के लिए प्रधानमंत्री ने केरल मुस्लिम लीग को 'असाम्प्रदायिक' होने का सार्वजनिक प्रमाण-पत्र प्रदान किया । अभी हाल में ही जम्मू में अपने वक्तव्य में श्रीमती गांधी ने समूची मुस्लिम लीग को ही भारत-विभाजन के पाप से मुक्त कर दिया ।

मुस्लिम लीग का मुसलमानों की एकमेव प्रतिनिधि संस्था होने का दावा, विधानमंडलों तथा नौकरियों में पृथक संरक्षण की मांग, मुस्लिम व्यक्तिगत कानून में संशोधन करने के संसद के अधिकार को चुनौती और मुस्लिम उत्पीड़न की मनगढ़न्त कथाओं का प्रचार देश में उसी विषाक्त वातावरण का सृजन कर रहा है जो विभाजन के पूर्व विद्यमान था ।

प्रधानमंत्री ने नक्सलवादियों की राष्ट्रविरोधी गतिविधियों को 'सामाजिक-आर्थिक' कारणों से जोड़कर उन्हें एक आदर का स्थान दे दिया है । यह स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि नक्सलवादी उपद्रव के कर्णधार लाल चीन के एजेन्ट हैं जो भारत को पीकिंग के प्रभुत्व के अन्तर्गत लाना चाहते हैं ।

पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन कायम हुए १० महीने होने आए, किन्तु कानून तथा व्यवस्था की स्थिति सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही है । मां की आंखों के आगे उसके लाडले बेटे की निर्मम हत्या करना, छात्रों के सम्मुख उनके अध्यापक को मौत के घाट उतारा जाना, दिन-दहाड़े राह चलते किसी नौजवान को छुरे का निशाना बनाना, किसी क्रान्ति की अगवानी का सूचक नहीं, विनाश के कगार की ओर खींचे जाने वाले राष्ट्र की स्थिति का द्योतक है । सरकार का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के जीवन, धन तथा

सम्मान की रक्षा करना है। वर्तमान सरकार इस दायित्व के पालन में पूर्णतया असफल रही है। अतः उसे कायम रहने का कोई अधिकार नहीं है।

मतदाताओं को निर्णय करना है कि वे क्या चाहते हैं—लोकतंत्र अथवा अधिनायकवाद, शान्तिपूर्ण परिवर्तन अथवा हिंसात्मक उपद्रव, योजनाबद्ध प्रगति अथवा अराजकता, कानून का राज्य या जंगल का कानून ?

भारतीय जनसंघ देश की जाग्रत जनता से अपील करता है कि वह सत्तारूढ़ कांग्रेस, कम्युनिस्ट तथा मुस्लिम लीग के अपवित्र गठबन्धन को चुनाव में पूर्णतया परास्त करे और उसके स्थान पर एक ऐसी वैकल्पिक सरकार को स्थान दे जिसकी राष्ट्रीयता और लोकतंत्र में अटूट निष्ठा हो और जो एक समतायुक्त समाज की रचना कर सके। जनसंघ का विश्वास है कि एक तेजस्वी नए भारत का निर्माण तब तक एक स्वप्न रहेगा जब तक आधारभूत तथ्यों को स्पष्ट शब्दों में नहीं रखा जाता। देश को भ्रमित करने के लिए जिन दिमागी जालों को जानबूझकर बुना गया है उन्हें साफ करना होगा। अतः दल की मूल मान्यताओं को, जिन्हें हम विश्व में अपनी योग्य भूमिका का निर्वाह कर सकने में समर्थ एक पराक्रमपूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक समझते हैं, यहाँ दोहराना समीचीन होगा।

एक राष्ट्र : एक जन

भारतीय जनसंघ भारत को एक राष्ट्र और सभी भारतीयों को एक जन मानता है। जाति, पंथ, भाषा तथा प्रदेश की विविधताओं ने हमारे जीवन की एकात्मता को अधिक सुन्दर और छविमान ही बनाया है। यहाँ तक कि जो आक्रमणकारी बनकर आए वे भी भारतीयता के रंग में रंगे गए और एकरूप हो गए।

मजहब के आधार पर द्वि-राष्ट्रवाद अथवा भाषाओं के आधार पर बहुराष्ट्रवाद का प्रतिपादन करने वाले हमारे एक राष्ट्रत्व को ही चुनौती देते हैं। यदि भारत को नए विभाजन की विभीषिका से बचाना है तो इन विघटनकारी विचारधाराओं को सदा सर्वदा के लिए समाप्त करना होगा।

असाम्प्रदायिक राज्य :

भारतीय जनसंघ एक असाम्प्रदायिक राज्य के प्राचीन आदर्श में पूर्ण

विश्वास करता है। भारत में उपासना-पद्धति के आधार पर कभी किसी के प्रति भेदभाव नहीं बरता गया। राज्य ने विभिन्न मतावलम्बियों को सदैव समान स्वतंत्रता तथा संरक्षण प्रदान किया है। जनसंघ इस सेक्युलर परम्परा को आगे बढ़ाने के लिए कृतसंकल्प है।

किन्तु जनसंघ सेक्युलरवाद के नाम पर एक ओर अधार्मिकता तथा दूसरी ओर संतुष्टीकरण को प्रोत्साहन देने की नीति का विरोधी है। हम यह भी चाहते हैं कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी 'सर्वधर्म समभाव' के भारतीय आदर्श को अपनाएँ और अन्य धर्मों के प्रति न केवल सहिष्णुता का, अपितु समादर का भाव रखें।

समतायुक्त समाज :

भारतीय जनसंघ एक समतायुक्त समाज की रचना के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है, जिसमें जन्म, वंश, जाति अथवा मजहब के आधार पर न किसी के प्रति भेदभाव होगा और न पक्षपात किया जाएगा। ऐसा समाज आर्थिक शोषण तथा सामाजिक विषमता से सर्वथा मुक्त होगा।

भारतीय संस्कृति में जो कुछ उदात्त, उत्तम और श्रेष्ठ है जनसंघ उसका संरक्षण और संवर्धन करेगा और असहिष्णुता, अंधविश्वास तथा रूढ़िवाद के विरुद्ध अनवरत संघर्ष करेगा जिससे स्वतन्त्रता, समता और बन्धुता के आधार पर एक आधुनिक समाज की रचना का उद्देश्य पूर्ण हो सके।

दरिद्रता के विरुद्ध पूर्ण युद्ध :

जनसंघ दरिद्रता के विरुद्ध पूर्ण युद्ध की घोषणा करता है। इस युद्ध में हम पूरी तरह विजय पाने के लिए कृत संकल्प हैं। स्वल्प आय, कम होती माँग, घटती बचत, घटते पूँजी विनियोग, रोजगार की कम होती संभावनाओं और गिरते उत्पादन के दूषित चक्रव्यूह को हमें हमेशा के लिए तोड़ देना है। हम रोजगार के अधिकाधिक अवसर, ऊँची आय, बढ़ती माँग, बचत में वृद्धि और अधिक पूंजी विनियोग की स्वस्थ प्रक्रिया का प्रारम्भ करेंगे, जिनसे कम लागत पर अधिक उत्पादन हो सके।

भारतीय अर्थतंत्र का विकास ऐसा महान उद्यम है जिसे जाग्रत भारतीय जनता ही सफलता के साथ गतिशील बना सकती है। यह ऐसा गुरुतर भार

है, जिसे न तो मुट्ठी भर थैलीशाह संभाल सकते हैं और न छुटभैये मंत्री, जो एक लाइसेंस यहाँ और दूसरा परमिट वहाँ बाँटते फिरते हैं। भारतीय अर्थतंत्र का विकास कुछ बड़े पूंजीपतियों या पूरी सरकार के बूते की बात नहीं, बल्कि यह तो भारतीय जनता का दायित्व है। राष्ट्र की प्रचण्ड शक्तियों को बन्धन-मुक्त करके ही इसे सजाया और संवारा जा सकता है। प्रत्येक भारतीय, जिसकी भुजाओं में बल और मस्तिष्क में विचार है, ऐसा महसूस करे कि वह उद्योग स्थापित करने को स्वतंत्र है। दरिद्रता को भगाने और सबके लिए रोजगार के रास्ते खोलने का यही एक मात्र रास्ता है।

पूर्ण रोजगार :

जनसंघ श्रम करने में समर्थ प्रत्येक व्यक्ति के लिए रोजगार का आयोजन करेगा। हमारा परमाणु कार्यक्रम बेरोजगार शिक्षितों के लिए रोजगार का विशाल क्षेत्र खोल सकेगा। अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा और प्रत्येक ग्राम समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की व्यवस्था करके हम ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी को विदा करेंगे। गाँवों में सार्वजनिक निर्माण और आवास का विशाल कार्यक्रम आरम्भ कर के भारत का कायाकल्प किया जायेगा।

हम ये सब कार्य अपनी श्रम-शक्ति का उपयोग कर के, जो हमारी सबसे बड़ी पूँजी है, पूरा करेंगे। प्रत्येक परियोजना को श्रमप्रधान बनायेंगे।

कृषि : हमारा महानतम उद्योग

कृषि हमारा सबसे बड़ा उद्योग है। आगामी पाँच वर्ष में जनसंघ देश को खाद्य के मामले में आत्मनिर्भर बना देगा। इसी अवधि में जनसंघ सभी फालतू कृषि योग्य परती भूमि को भूमिहीन मजदूरों और अलाभकर जोतों वाले किसानों, मुख्यतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सेवा-निवृत्त सैनिकों में बाँट देगा। अलाभकर जोतों को लाभप्रद बनाने के लिए आवश्यक ऋण देगा। हम अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करेंगे और लघु सिंचाई योजनाओं का जाल बिछायेंगे।

नाबालिगों, विधवाओं, अपंगों, सैनिकों और पुलिस के जवानों को छोड़कर जनसंघ 'जमीन उसकी जो जोते' के सिद्धान्त का पक्का हामी है। किसानों के अधिकारों की सुरक्षा और बटाईदारों के उचित हिस्से की गारंटी की

जायगी। लगान को नए आधार पर निर्धारित किया और घटाया जाएगा। जनसंघ जोत की अधिकतम सीमा में किसी कटौती के खिलाफ है।

जनसंघ सेवा सहकारी समितियों की स्थापना को बढ़ावा देगा और उन्नत किस्म के बीज, बैल, खाद, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवाएँ तथा कृषि के लिए अन्य आवश्यक साज-सामान, सस्ते दामों पर मुहैय्या कराने और उन्हें प्राप्त करने के लिए कर्ज, उधार आदि की समुचित व्यवस्था करेगा। यह सिंचाई और बिजली दरों को घटायेगा, फसल और पशुओं के बीमे की व्यवस्था करेगा तथा पशुपालन और अच्छी नस्ल के पशु तैयार करने के कार्यक्रमों को बढ़ावा देगा। यह खाद्यान्नों की फसलों के लिए लाभप्रद मूल्यों की गारंटी करने के साथ-साथ कृषि एवं औद्योगिक उत्पादों के मूल्यों में उचित संतुलन बनाये रखेगा।

हम गाँवों में पीने के स्वच्छ जल का प्रबन्ध करेंगे। कृषि उद्योगों का विकास करेंगे और ग्रामीण जीवन का कायाकल्प करने में समर्थ स्वदेशी टेक्नालोजी को विकसित करेंगे।

प्रत्येक परिवार के लिये मकान :

कृषि के बाद आवास निर्माण देश का सबसे बड़ा उद्योग है। यह उद्योग न केवल प्रत्येक गृहस्थ और कारखाने की, मकान और इमारत की आवश्यकता को पूरा करता है बल्कि आर्किटेक्ट, इंजीनियर, इमारती मजदूर और इमारती साज-सामान की पूर्ति करने वालों के लिए रोजगार की असीम संभावनाएं खोलता है। जनसंघ बैंकों और बीमा संस्थाओं को प्रेरित करेगा कि ये विभिन्न आवास सहकारी समितियों को अपेक्षित वित्तीय सहायता दें। हम इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर लम्बी अवधि के कर्ज देने वाले एक केन्द्रीय आवास प्राधिकरण की भी स्थापना करेंगे। इस प्रकार हम सब गन्दी बस्तियों को साफ कर देंगे और प्रत्येक परिवार के लिए रहने के लिए मकान देंगे।

इस प्रकार विभिन्न संस्थाओं द्वारा निर्मित मकान/फ्लैट 'हायर परचेज' आधार पर अलाट किये जायेंगे और लागत खर्च आसान किस्तों में वसूल किया जायगा।

ऐसे कदम भी उठाए जायेंगे जिससे शहरी इलाकों में मकानों के स्वामित्व का विकेन्द्रीकरण हो।

औद्योगिक विकास :

उद्योग जिस मंदी से पीड़ित और परेशान है, जनसंघ उससे चिन्तित है। वह उद्योगों में नए जीवन का संचार करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगा।

हम नए उद्योग शुरू करने के लिए लाइसेंस देने का काम राजनीतिज्ञों के हाथ से लेकर एक स्वायत्त संस्था के विशेषज्ञों को सौंप देंगे। यह संस्था सीधी संसद के प्रति उत्तरदायी होगी। जिन छोटे और मध्यम उद्योगों को बिना किसी विदेशी मुद्रा की मांग के स्थापित किया जा सकेगा उनके लिए लाइसेंस लेने के सभी झंझट खत्म कर दिए जायेंगे। हमारी कोशिश यह होगी कि उपभोक्ता वस्तु उद्योग को विकसित करने का दायित्व मध्यम और लघु उद्योग क्षेत्र को सौंपा जाय। इससे एकाधिकार रुकेगा और आम जनता के लिए उद्योग शुरू करना आसान होगा।

जनसंघ भारतीय अर्थतंत्र को शक्तिशाली बनाने के लिए स्वदेशी भावना को पुनरुज्जीवित करेगा। वह विदेशों में रहने वाले भारतीयों को आमंत्रित और प्रोत्साहित करेगा कि वे भारत में पूंजी लगायें।

औद्योगिक स्वामित्व का स्वरूप

जनसंघ समस्त सत्ता के, चाहे वह आर्थिक हो या राजनैतिक, विकेन्द्रीकरण के लिए कृतसंकल्प है। वह सत्ता के कुछ हाथों में केन्द्रीकरण का विरोधी है। परिणामस्वरूप वह व्यक्तिगत और सरकारी दोनों प्रकार के पूंजीवाद के खिलाफ है, क्योंकि इन दोनों का आर्थिक लोकतंत्र के सिद्धान्तों से मेल नहीं बैठता।

जनसंघ तत्काल औद्योगिक स्वामित्व के स्वरूप पर विचार करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग नियुक्त करेगा जो विभिन्न उद्योगों की विशिष्टताओं और आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह निश्चित करेगा कि स्वामित्व के विभिन्न स्वरूपों का वैज्ञानिक मानदंड और आधार क्या हो।

स्वायत्त मुद्रा अधिकरण की स्थापना :

जनसंघ इस बात से चिंतित है कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद से ऋण लेना काफी मंहगा और बिल्कुल तनाव हो गया है। बड़े उद्योगों और बड़े फार्मों के मुकाबले छोटे उद्योगों और छोटे फार्मों को कर्ज ऊंची ब्याज दर पर दिया जाता है। इस बात से हमारे इस संदेह की ही पुष्टि हुई है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक कदम था।

जनसंघ इस स्थिति को खत्म करेगा। वह राष्ट्रीयकृत बैंकिंग उद्योग को एक स्वायत्त मुद्रा अधिकरण में बदल देगा जो मुद्रा और उधार के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। इस अधिकरण का मुखिया रिजर्व बैंक होगा जिसके स्वरूप और गठन में उपयुक्त परिवर्तन किए जायेंगे। इस अधिकरण का दोहरा उद्देश्य होगा। मुद्रा नियंत्रण द्वारा यह मूल्यों को नियमित करेगा और अपनी ऋण नीतियों द्वारा सबके लिए रोजगार के द्वार खोलेगा।

स्वायत्त मुद्रा अधिकरण से अपेक्षा की जाएगी कि वह छोटे किसानों गांवों और शहरी-कारीगरों, शिक्षित बेरोजगारों, इंजीनियरों, टेक्नोशियनों और नये तथा लघु उद्योगपतियों की ऋण पाने की पात्रता का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म आयोजन चलाने के लिए वित्तीय सलाहकार सेवा का विशद रूप से संगठन करे और सबको कर्ज की उपयुक्त सुविधाएँ प्रदान करे।

बिक्री कर के स्थान पर उत्पादन शुल्क :

जनसंघ कर कानूनों को आसान बनायेगा जिससे करों की चोरी बन्द हो। वह करभार से दबे वर्गों को राहत प्रदान करेगा। वह ऐसे उपयुक्त उपाय करेगा जिससे अनुपार्जित आय का बड़ा भाग सार्वजनिक उपयोग में आ सके। कराधान का उपयोग व्यययोग्य आय की वर्तमान असमानताओं को मिटाने और न्यूनतम एवं अधिकतम आय में १ और २० का अनुपात कायम करने के लिए किया जायगा। हम ऐसा कोई कर नहीं लगायेंगे जिससे आम जनता के उपभोग की वस्तुओं की कीमतें बढ़ें। हम कपड़ा, चीनी और तम्बाकू पर बिक्री कर लगाने का विरोध करते हैं। जहाँ भी ऐसा बिक्री कर लागू है जिससे जनता को परेशानी होती है वहाँ हम उसे हटाकर उत्पादन कर लागू करेंगे। इस बात की पूरी सावधानी बरती जायगी कि ऐसी व्यवस्था से प्रदेशों को कोई हानि न हो।

हम ऐसे सब करों को खत्म कर देंगे जिनकी वसूली पर उनसे होने वाली आय के बराबर ही खर्च करना पड़ता है, जैसे व्यवसाय कर, छोटी आय वालों पर आय कर, फेरीवालों पर कर आदि।

विदेशी मदद नहीं चाहते :

७००० करोड़ रुपए से भी अधिक का विदेशी कर्ज लेकर सरकार ने एक माने में देश की भावी पीढ़ी के भाग्य को गिरवी रख दिया है। जनसंघ इन प्रतिकूल शर्तों वाले ऋण समझौतों पर विचार करेगा, तथाकथित 'सहायता' के नाम पर जो बोझ डाला गया है उसका भंडाफोड़ करेगा और उनकी शर्तों को बदलवायेगा।

जनसंघ पूर्ण स्वावलम्बी अर्थतंत्र की स्थापना के लिए काम करेगा और सभी विदेशी मदद से छुट्टी लेगा। आयात की जरूरतों को निर्यात से पूरा करेगा और व्यापारिक ऋण विश्व मुद्रा बाजार से प्राप्त करेगा। सभी विदेशी तकनीकी ज्ञान और साज-सामान दुनिया भर से टेंडर मांग कर खरीदेगा।

जनसंघ विदेशी सहयोग के सभी समझौतों की जांच-पड़ताल करेगा और उनसे आपत्तिजनक धाराओं को हटवायेगा।

विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण :

जनसंघ भारत में खुले सभी विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण करेगा और उपभोक्ता सामान बनाने वाली सभी विदेशी फर्मों का भारतीयकरण करेगा। उनकी शेयर पूंजी में भारतीय नागरिकों, खासकर उन विदेशी फर्मों में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और निम्न तथा मध्यम आय वाले भारतीयों को भागीदार बनाया जायगा।

जनसंघ विदेशी व्यापार के बीमे और कम्युनिस्ट देशों के साथ होने वाले सभी आयात-निर्यात व्यापार का राष्ट्रीयकरण करेगा।

जनसंघ आयात लाइसेंस देने के लिए एक स्वायत्त बोर्ड गठित करेगा जो सीधा संसद के अधीन होगा।

सरकारी उद्योग मुनाफा देंगे

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में विशाल पूंजी लगाने के बाद जो भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है वह गोलमाल का ज्वलन्त उदाहरण है। जनसंघ सरकारी उद्योगों को राजनीतिज्ञों और नौकरशाहों के चंगुल से मुक्त करायेगा और इनका प्रबन्ध, औद्योगिक प्रबन्ध का आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त एवं अनुभवी व्यावसायिक सार्वजनिक प्रशासकों को सौंपेगा।

सरकारी उद्योगों की स्वायत्तता और संसद के प्रति उनकी जवाबदेही के बीच उचित संतुलन रखा जायगा।

सरकारी उद्योगों को आंख मूंदकर बढ़ाते और फैलाते जाने के बजाय जनसंघ उनको सुदृढ़ करने पर ध्यान देगा। घाटे पर चलने वाले सरकारी उद्योगों को इस तरह पुनर्गठित किया जायगा कि वे लाभप्रद बन जायें।

वेतनभोगियों के लिए नयी आशा :

जनसंघ ऐसी व्यवस्था करेगा जिससे शहरी और औद्योगिक मजदूरों एवं कर्मचारियों की रोजी सुरक्षित रह सके, उनका वेतन और मजदूरी आवश्यकतानुसार न्यूनतम वेतन के सिद्धान्त के हिसाब से तय किया जाय, शुद्ध वेतन और मजदूरी सुरक्षित रहे तथा यूनियनों को गुप्त मतदान द्वारा मान्यता दी जाय।

मजदूरों और मालिकों के साथ परामर्श कर के कानून द्वारा निश्चित चार प्रतिशत से २० प्रतिशत तक मिलने वाले बोनस की दर को और बढ़ाया जायगा।

कानून द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन के अलावा खेतिहर मजदूरों को उनके कृषि उत्पादनों में सह-भाग की गारंटी की जायगी और इसी तरह वनवासी मजदूर वर्गों के उत्पादनों और वनसंपदा पर आधारित उद्योगों के उत्पादनों में साझीदार बनाये जायेंगे।

जनसंघ सामाजिक सुरक्षा—जिसमें बेरोजगारी बीमा, मुफ्त डाक्टरी सहायता और सेवानिवृत्ति लाभ शामिल होंगे—तथा श्रमिक कल्याण की—

जिसमें मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का कार्यक्रम भी होगा—संगठित योजनाएँ शुरू करेगा।

जनसंघ श्रमिक कानूनों और उनके अधीन चलने वाली व्यवस्थाओं में इस तरह संशोधन करेगा जिससे मजदूरों को शीघ्रता से न्याय और औद्योगिक शान्ति को बढ़ावा मिले।

जनसंघ उद्योगों के प्रबन्ध और स्वामित्व में श्रमिक साझेदारी को प्रोत्साहित करेगा और इसके लिए श्रम का मूल्य शेयरों के रूप में आँका जायेगा।

महिला कर्मचारी :

जनसंघ महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने का हामी है। जिन कार्यों में महिलाओं की विशेष दिलचस्पी है, उनमें उनको रोजगार में लगाया जायगा, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध किया जायगा और महिला कर्मचारियों की ऐसी तर्कसंगत योजना की जायेगी जिससे महिलाओं और पुरुषों की होड़ खत्म हो। जनसंघ महिला मजदूरों के बारे में कानून की व्यवस्थाओं को मुस्तैदी से लागू करेगा और इसकी पक्की व्यवस्था करेगा कि 'समान काम के लिए समान वेतन' के नियम का पालन हो। जनसंघ मालिकों को प्रेरित करेगा कि वे इस तथ्य को स्वीकार करें कि श्रमजीवी गृहिणियों का एक विशिष्ट वर्ग है और वे ऐसी महिला कर्मचारियों के लिए काम के घंटे, श्रम व्यवस्था, आवास की सुविधा, परिवहन और बाल सेवा की उचित व्यवस्था करें।

हम बड़े शहरों में श्रमजीवी महिलाओं के लिए होस्टल कायम करेंगे।

छँटनी नहीं :

जनसंघ ऐसे नवीकरण का विरोधी है जिससे रोजगार की व्यवस्था होने से पूर्व ही कर्मचारियों की छंटनी हो जाय। वह रक्षा और अन्तरिक्ष विज्ञान के अलावा अन्य सब उद्योगों में ऐसे मनमाने स्वचालन (आटोमेशन) का विरोध करेगा जिससे बड़े पैमाने पर बेरोजगारी का खतरा बढ़े।

पेंशनरों के साथ न्याय :

जनसंघ रहन-सहन के खर्च में भारी बढ़ोतरी को देखते हुए पेंशन की राशि में पर्याप्त वृद्धि करेगा। वह केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा का लाभ पेंशनरों को भी दिलायेगा।

मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड :

मूल्यों को स्थिर रखने के उद्देश्य से जनसंघ घाटे की वित्त व्यवस्था में कमी करेगा और मूल्य स्थिरीकरण बोर्ड गठित करेगा जो लाभ की सीमा निश्चित करेगा। जमाखोरी और मुनाफाखोरी पर कठोर दंड की व्यवस्था होगी और उचित मूल्य की दुकानों का जाल बिछाया जायगा।

स्वदेशी योजना :

जनसंघ सरकारी क्षेत्र के लिए सूक्ष्म एवं सविस्तार तथा समूचे अर्थतंत्र के लिए बहुमुखी एवं व्यापक योजना के पक्ष में है। उसकी आस्था इसमें है कि सबको पूरा रोजगार मिले, अधिक से अधिक उत्पादन हो, समानान्तर वितरण हो और मूल्य स्थिर रहें।

इन उद्देश्यों को सामने रखकर जनसंघ चौथी योजना के स्थान पर स्वावलम्बी स्वदेशी योजना शुरू करेगा जिससे १० प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य पूरा किया जा सके।

सम्पत्ति का अधिकार :

जनसंघ जनता का दल है। वह आम आदमी के सम्पत्ति रखने के अधिकार का समर्थक है। वह उस दिन की उत्सुकता से प्रतीक्षा करता है जब प्रत्येक नागरिक के पास अपनी कहने को कुछ सम्पत्ति होगी। अतः जनसंघ सम्पत्ति रखने के संवैधानिक अधिकार पर कांग्रेस-कम्युनिस्ट प्रहार को विफल बनाने के लिए दृढ़प्रतिज्ञ है, क्योंकि यह हमला यदि सफल हुआ तो नागरिकों का वह अधिकार समाप्त हो जायेगा जिसके आधार पर वह यह कहने का साहस करता है कि यह मेरा घर है, यह मेरा खेत है, यह मेरा कारखाना है।

संविधान के बारे में आयोग :

जनसंघ संविधान को जड़ दस्तावेज नहीं मानता। संविधान को ऐसा प्रभावशाली साधन बनाये रखना होगा जिससे जनता की आशा और आकांक्षा पूरी होती चले। यही वजह है कि हमारे संविधान-निर्माताओं ने संविधान को लचीला बनाये रखने के लिए ३६८ वें अनुच्छेद की व्यवस्था की। फिर भी उन्होंने पूरी सावधानी बरती कि संविधान का मूल ताना-बाना न बिखरने पाये — जनसंघ उनकी इस सावधानी को मूलतः उचित मानता है — और कोई उसमें मनमाने ढंग से तोड़-फोड़ न करे।

इधर कुछ समय से शासक दल की प्रवृत्ति यह हो गई है कि संविधान की जो धारा या व्यवस्था उसके राजनीतिक स्वार्थ साधन में बाधक बनती है उसकी निन्दा की जाय। जनसंघ इस प्रवृत्ति को दुर्भाग्य मानता है। फिर भी वह ऐसा महसूस करता है कि समय आ गया है जबकि संविधान के बारे में विधिवेत्ताओं का एक आयोग बैठाया जाय जो पिछले दो दशकों के अनुभवों के आलोक में संविधान पर विचार करे और सुझाव दे।

भारतीयकरण के माध्यम से राष्ट्रीय एकात्मता :

जनसंघ राष्ट्रीय एकात्मता के लिए सचेष्ट होगा और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अधोलिखित ठोस कदम उठायेगा :—

(1) हम संविधान के उन निर्देशक सिद्धान्तों को लागू करेंगे जिन्हें भुला दिया गया है। १४ वर्ष तक की उम्र के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा (४५ वां अनुच्छेद), गोवंश की रक्षा (४८ वां अनुच्छेद), नशीले पेयों (शराब) की खपत में शीघ्रता से कमी (४७ वां अनुच्छेद), सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए समान नागरिक संहिता (४४ वां अनुच्छेद)।

(2) हम शिक्षा को नैतिकता एवं देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत ऐसा सार एवं स्वरूप प्रदान करेंगे जिससे बच्चों में देश की धरती, सभी भारतीयों के, और सांस्कृतिक परम्परा के प्रति प्रेम जागे। इस उद्देश्य से हम पाठ्य-पुस्तकों में संशोधन करेंगे।

(3) हम किसी तरह के भी दंगे-फसाद को रोकने के लिए सभी कदम उठायेंगे। दंगा होने पर हम अपराधी को दंड और पीड़ित को मुआवजा देंगे।

अन्तरराज्यीय परिषद् की स्थापना :

(4) हम संविधान के अनुच्छेद २६३ के अन्तर्गत एक अन्तरराज्यीय परिषद् की स्थापना करेंगे जो सरकार को केन्द्र तथा राज्यों से सम्बन्धित सभी मामलों पर परामर्श देगी।

राज्यों के बीच ऐसे विवादों पर जो पारस्परिक समझौता-वार्ता द्वारा तय नहीं हो सकते, जनसंघ पंच फैसला देने के लिए आयोग नियुक्त करेगा।

क्षेत्रीय असंतुलन के कारण पृथक राज्यों की सभी मांगों को भी इस आयोग को सौंपा जायेगा जो उपयुक्त आर्थिक, प्रशासनिक तथा संवैधानिक हल सुझायेगा।

जिस ढंग से वर्तमान सरकार दलगत कारणों से नए-नए राज्यों का निर्माण करती जा रही है उसे जनसंघ अवसरवादी मानता है। इस प्रकार दिल्ली को एक राज्य का दर्जा देने से मना करना और अन्य क्षेत्रों को जो जनसंख्या तथा आर्थिक साधनों की दृष्टि से उससे छोटे हैं, पृथक राज्य बनाना सर्वथा अनुचित है।

(5) संविधान के ३७१ वें अनुच्छेद की व्यवस्था के अनुसार हम विभिन्न प्रदेशों में पिछड़े इलाकों के विकास के लिए पृथक विकास बोर्ड गठित करेंगे।

(6) हम विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर रोक लगायेंगे। विदेशों से आने वाली सामग्री को सरकारी संस्थाओं के माध्यम से ही वितरित किया जायगा।

(7) हम जम्मू और काश्मीर के पृथक विधान को खत्म करके उस राज्य को देश के अन्य राज्यों के समान स्तर पर लायेंगे।

पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रम :

(8) समाज के पिछड़े वर्गों को समान सार्वजनिक अवसर प्रदान करने

और उन्हें समाज के विकसित वर्गों के समकक्ष लाने के लिए हम दस वर्ष के भीतर सम्पन्न होने वाला विशाल कार्यक्रम क्रियान्वित करेंगे।

(9) अस्पृश्यता मनुष्य और परमात्मा दोनों के विरुद्ध घोर अपराध है। हम छुआछात मिटाने के सभी कानूनों को पूर्णतया लागू करेंगे और जहाँ जरूरी होगा इन कानूनों को और कठोर बनायेंगे। हम उन सब दीवारों को ढहा देंगे जो एक भारतीय को दूसरे भारतीय से जुदा करती है। हम एक समरस और समतायुत समाज की स्थापना की प्रक्रिया को तेज करेंगे।

(10) जनसंघ समाज के सभी वर्गों में खासकर उन वर्गों में जो ऐतिहासिक कारणों से राष्ट्रीय जीवन की मूल धारा से अलग-थलग पड़ गए है, भारतीयता की भावना भरेगा।

भारतीय भाषाओं का विकास :

स्वभाषा के बिना स्वराज्य अपूर्ण है। जनसंघ राज्य स्तर पर अंग्रेजी को हटाने और उसके स्थान पर भारतीय भाषाओं को आसीन करने की प्रक्रिया को तेज करेगा तथा प्रशासन, अदालतों और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को ही माध्यम बनायेगा।

जनसंघ अगले पाँच वर्ष के भीतर हिन्दी को सम्पर्क भाषा के रूप में विकसित करेगा। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएँ सभी मान्य भारतीय भाषाओं में लेने का प्रबन्ध किया जायगा जिससे अहिन्दी भाषियों को केन्द्रीय सेवाओं में आने में कोई कठिनाई न हो।

पंजाब में हिन्दी का सदा से व्यापक प्रयोग होता रहा है। उसे शिक्षा और प्रशासन में उचित स्थान दिया जायगा।

जनसंघ उर्दू भाषा के विकास पर भी पूरा ध्यान देगा और कानून द्वारा उसे जो सुविधाएँ प्राप्त हैं उनको दिलाने की व्यवस्था करेगा। लेकिन जनसंघ उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश आदि में उर्दू को दूसरी सरकारी भाषा का दर्जा देने के खिलाफ है।

विस्थापितों को मुआवजा :

विभाजन के तेईस वर्ष बाद भी पूर्व पाकिस्तान से लाखों विस्थापितों का वर्ष, प्रतिवर्ष आना जारी है। वे बड़ी दर्दनाक हालत में रह रहे हैं। जनसंघ इस ओर ध्यान देगा कि पाकिस्तान में हिन्दुओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, जिससे उन्हें अपने प्राण और इज्जत बचाने के लिए भागना न पड़े।

साथ ही जनसंघ भारत आये सभी विस्थापितों को शीघ्रता से बसाने का प्रबन्ध करेगा।

पिछले भारत-पाकिस्तान समझौते पूर्व पाकिस्तान में छोड़ी गई निष्क्रान्त सम्पत्ति पर लागू नहीं होते। जनसंघ इन समझौतों को पूर्वी भाग में भी लागू कराने का प्रयत्न करेगा और विस्थापितों को उस सम्पत्ति का मुआवजा देगा जो वे छोड़ कर आये हैं।

दो हत्याओं की जाँच :

श्री लाल बहादुर शास्त्री और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यपूर्ण मृत्यु के बारे में जनता के मस्तिष्क में जो संशय उठे हैं, जनसंघ उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वह इन दोनों रहस्यों का पता लगाने के लिए तीन जजों का जाँच आयोग नियुक्त करेगा जिसे जाँच के पूरे अधिकार प्राप्त होंगे।

स्वतंत्र विदेश नीति :

हालांकि सरकार गुट निरपेक्ष नीति के प्रति मौखिक आस्था प्रकट करती है, किन्तु नई दिल्ली जिस तेजी से रूस की पुछल्ला बनती जा रही है, जनसंघ उससे चिन्तित है। जनसंघ इस बात को फिर दोहराना चाहता है कि हम रूस से मैत्री चाहते हैं। लेकिन मैत्री तभी कायम रह सकती और बढ़ती है जब वह एक दूसरे की प्रभुसत्ता का सम्मान करने पर आधारित हो और एक दूसरे के आन्तरिक मामलों में दखल देने से बाज आयें।

पाकिस्तान को शस्त्र सहायता एक अमैत्रीपूर्ण कार्य :

इस प्रसंग में रूस द्वारा बराबर ऐसे मानचित्र प्रकाशित करना, जिसमें भारतीय प्रदेश को चीन का इलाका दिखाया गया हो, हम कभी पसन्द नहीं कर सकते। उसके ऐसे रेडियो प्रसारण, जिनमें भारतीय दलों और नेताओं

पर आक्षेप होते हैं, हमारी स्वतंत्र राजनीतिक संस्थाओं पर खुला प्रहार है। हमारे चुनावों में, यहां तक कि राष्ट्रपति के चुनाव में भी, उसका हस्तक्षेप हमारी प्रभुसत्ता पर आघात है। इन सबके ऊपर रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र से सज्जित करना हमारी सुरक्षा के लिए खतरा है।

अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को पुनः शस्त्रास्त्र देने को जनसंघ बहुत गंभीर बात मानता है। वह इस कारवाई को अमैत्रीपूर्ण कार्य समझता है। पाकिस्तान को हथियारबन्द करने में दोनों महाशक्तियों का एक ही उद्देश्य नजर आता है—भारत को तंग करना, हमारे साधनों पर दबाव बढ़ाना और हमारे आर्थिक विकास में रोड़ा अटकाना।

रबात में हुए इस्लामी शिखर सम्मेलन में भारत सरकार का प्रतिनिधि-मण्डल भेजने का फ़ैसला, अलफतह आतंकवादियों के स्वागत के लिए पलक पाँवड़े बिछाना, दक्षिण वियतनाम की विद्रोही नेता, मदाम बिन्ह को अभूतपूर्व दावतनामा और इंडोनेशिया द्वारा आयोजित कम्बोडिया सम्बन्धी सम्मेलन में भाग लेने से इनकार करना, ये कुछ उदाहरण हैं जो यह सिद्ध करने को पर्याप्त हैं कि भारत की विदेश नीति और चाहे जो हो, पर वह स्वतन्त्र नहीं है।

जनसंघ भारत को ब्रिटिश राष्ट्र मण्डल की सदस्यता से हटा लेगा। वह दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ विशेष सम्बन्ध कायम करने की दिशा में प्रयत्नशील होगा।

हम प्रवासी भारतीयों के हितों का संरक्षण और संवर्धन करेंगे।

भारत में बिना किसी रोकटोक के सक्रिय विदेशी 'जासूसों'—रूसी, अमेरिकी, चीनी, पाकिस्तानी, अरब आदि—को जनसंघ बड़ी गम्भीर चिन्ता की दृष्टि से देखता है। वह इन तमाम 'जासूसों' को चकनाचूर कर देगा।

भारत विश्व की एक महाशक्ति :

अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत ने हमेशा 'सब काहू से दोस्ती, ना काहू सों बैर' के सिद्धान्त का पालन किया है। लेकिन जनसंघ महसूस करता है कि दोस्ती और शान्ति की बात करने मात्र से न तो मैत्री संभव है और न

शान्ति। फिर ये बातें सुरक्षा की उचित नीति की पर्याय नहीं बन सकतीं। यह तथ्य कि स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपने अस्तित्व के इन २७ वर्षों में भारत को चार हमलों का सामना करना पड़ा, यह सबक सीख लेने को काफी है कि शान्ति की साधना करते हुए भी हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए।

भारतीय भूमि पर चीनी और पाकिस्तानी आक्रमण के जारी रहने के प्रति जनसंघ पूरी तरह जागरूक है। हम इस दुहरे आक्रमण को खत्म करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध हैं। हम इस बारे में भी जागरूक हैं कि ये दोनों हमलावर भारत की आजादी और अखंडता के खिलाफ षड्यन्त्र रच रहे हैं। अतः हम इस बात के लिए कृतसंकल्प हैं कि अगले कुछ वर्षों में ही भारत को इतना शक्तिशाली बना दें कि वह विश्व की एक महाशक्ति बन जाए। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम निम्नलिखित पग उठायेंगे :—

(1) भारत की सशस्त्र सेनाओं को शक्तिशाली बनायेंगे और उन्हें आधुनिक शस्त्रास्त्रों से सज्जित करेंगे।

(2) हम परमाणु आयुधों का शस्त्रागार बनायेंगे जिससे मातृभूमि पर किसी भी आक्रमण को विफल कर सकें।

(3) प्रतिरक्षा अनुसंधान और प्रतिरक्षा उद्योगों के माध्यम से सभी शस्त्रास्त्रों का निर्माण करेंगे और इस मामले में देश को पूर्ण स्वावलम्बी बनायेंगे।

(4) भारत के विशाल समुद्र तटों की रक्षा करेंगे। अपने व्यापार मार्गों को आपदमुक्त रखेंगे और भारतीय नौसेना को हिन्द महासागर की सर्वाधिक शक्तिशाली नौसेना बनायेंगे।

(5) सीमाओं की सुरक्षा की पर्याप्त एवं प्रभावशाली व्यवस्था करेंगे। सीमा क्षेत्रों में निवृत्त सैनिकों को बसायेंगे।

(6) पाकिस्तानी घुसपैठियों का प्रवेश रोक देंगे। देश में घुसे पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ देंगे।

(7) समूची भारतीय जनता की सुरक्षा सबल बनाने के लिए सभी विश्वविद्यालयों में प्रतिरक्षा अध्ययन की व्यवस्था करेंगे और समूचे देश में राइफल क्लबों की स्थापना करेंगे।

शिक्षा प्रणाली में सुधार :

जनसंघ शिक्षा प्रणाली को इस प्रकार संशोधित करेगा कि वह राष्ट्रीय जीवनमूल्यों और आधुनिक भारत की आवश्यकताओं, दोनों की भलीभांति पूर्ति कर सके।

आकाशवाणी तथा सिनेमा :

जनसंघ आकाशवाणी, टेलीविज़न तथा फिल्म विभाग का एक स्वायत्त निगम बनायेगा। टेलीविज़न के विस्तार की गति को और तेज किया जायेगा।

जनसंघ इस बात को अनुभव करता है कि जनसाधारण के मनोरंजन और ज्ञानवृद्धि में चलचित्रों का भारी योगदान है। जनसंघ इस उद्योग के विकास के लिए, जहां संभव होगा, राहत देगा। नए सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहन दिया जायेगा।

विजय का संकल्प :

जनसंघ दरिद्रता का उन्मूलन करने के लिए दृढ़-प्रतिज्ञ है। हमें इस संकल्प को पूरा करना है—इस पवित्र संकल्प को कि हमारी भावी सन्तानें समृद्धि में जन्म लेंगी और एक प्रथम श्रेणी के राष्ट्र के सम्मानित नागरिक के नाते विश्व में अपना मस्तक ऊंचा करके चल सकेंगी। यह खोखले नारों अथवा थोथी घोषणाओं से संभव नहीं है। दरिद्रता के दानव के विरुद्ध भारतीय जनता के इस महासमर में सफल होने के लिए कठोर परिश्रम, लगन, अनुशासन, निष्ठा तथा सबसे बढ़कर विजय की उद्दाम इच्छा-शक्ति आवश्यक है। देशभक्तों के एक दल के रूप में भारतीय जनसंघ जन-जन के मन-मन में दरिद्रता के विरुद्ध इस पवित्र युद्ध में विजय पाने की दुर्दम्य आकांक्षा जगायेगा।

●

भारतीय जनसंघ केन्द्रीय कार्यालय, विट्ठल भाई पटेल भवन, नई दिल्ली-१ द्वारा प्रकाशित एवं राधाप्रेस, गांधी नगर, दिल्ली-३१ द्वारा मुद्रित।